

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Supply Appeal Case No.- 116/2025]

Kishor Kumar.....Appellant

Versus

The State of Bihar Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.9.2026	आदेश यह आपूर्ति पुनरीक्षण वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं0-13780/2017 में दिनांक-02.07.2025 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति अपील वाद संख्या-08/2017 (किशोर कुमार बनाम राज्य एवं अन्य) में दिनांक-13.07.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई हेतु दायर किया गया। दिनांक-09.09.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक किशोर कुमार के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि - 1. आवेदक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक डीलर था, जिसका पंजीकरण संख्या-08/2008 है। 2. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, शंकरपुर ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-7 के तहत शंकरपुर थाना कांड संख्या-102/2014 दर्ज किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता के दुकान में 24 क्विंटल 26 किलोग्राम गेहूँ एवं 36 क्विंटल 54 किलोग्राम चावल कम पाया गया। 3. उक्त शंकरपुर थाना कांड में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के क्रिमिनल मिसलेनियस वाद संख्या-13607/ 2015 में याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत मंजूर की गयी। 4. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, शंकरपुर के पत्रांक-126 दिनांक-30.08.2014 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज होने की सूचना दी गई और उनके लाईसेंस को रद्द किये जाने की कार्यवाई आरंभ की गई। 5. अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा (आपूर्ति शाखा) के ज्ञापांक-343 दिनांक-01.09.2014 से याचिकाकर्ता को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। 6. कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने दिनांक-05.09.2014 को अपना जवाब दाखिल किया। 7. अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश दिनांक-13.09.2014 से याचिकाकर्ता का लाईसेंस रद्द कर दिया गया। 8. याचिकाकर्ता का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित इस Cancellation Order के बारे में कोई सूचना या जानकारी नहीं मिली थी। 9. इस मामले के शुरुआत के बाद उनके आय के सभी श्रोत समाप्त हो गये और वह बेरोजगार हो गये।	



29.9.2026



10. याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके परिवार के सदस्य उसी स्थान पर रहे थे, किन्तु Cancellation Order के बारे में कोई पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ।
11. वापस घर आने पर अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा सम्पर्क करने पर भी उन्हें लाईसेंस रद्द करने के आदेश के संबंध में सही जानकारी नहीं मिली। तत्पश्चात उनके द्वारा RTI के तहत एक याचिका दायर की गयी। तब याचिकाकर्ता को लाईसेंस रद्द करने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित दिनांक-13.09.2014 का पारित आदेश की जानकारी मिली तथा उन्होंने उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन दिया।
12. उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर याचिकाकर्ता ने विद्वान समाहर्ता के न्यायालय के समक्ष जन वितरण प्रणाली अपील वाद संख्या-08/2017 दायर किया।
13. दिनांक-13.07.2017 को उक्त वाद में आदेश पारित करते हुए समाहर्ता द्वारा याचिकाकर्ता के Limitation Petition को खारिज कर दिया गया।
14. विद्वान समाहर्ता द्वारा पारित आदेश कानून एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से गलत, मनमाना तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। विद्वान समाहर्ता ने अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों पर विचार नहीं किया।
15. याचिकाकर्ता पिछले 06 वर्षों से PDS Dealer थे, लेकिन संबंधित दूकान के किसी भी लाभार्थी द्वारा उनके खिलाफ एक भी शिकायत नहीं की गयी थी।
16. प्राथमिकी में याचिकाकर्ता का एक आत्म-दोषारोपण करने वाला बयान संलग्न है, जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि वह लिखावट याचिकाकर्ता की नहीं थी।
17. याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूत तैयार करने के लिए आपूर्ति निरीक्षक द्वारा दो गवाहों का हस्ताक्षर प्राप्त किया गया था।
18. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित रद्दीकरण आदेश Reasoned order नहीं है क्योंकि उसमें अनुज्ञप्ति रद्द करने का ठोस एवं स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा ने उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी प्रकार के प्रारंभिक जाँच कराने की जहमत नहीं उठायी।
19. उक्त तथ्यों के आलोक में याचिकाकर्ता द्वारा इस रिविजन Petition को स्वीकार करते हुए आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा द्वारा जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति अपील वाद संख्या-08/2017 में दिनांक-13.07.2017 को पारित आदेश -

1. वादी का अपील आवेदन एवं समय क्षांत आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि समय क्षांत के मुद्दे पर वादी की ओर से कोई प्रमाणिक आधार/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उन्हें अनुज्ञप्ति रद्द होने की पूर्ण जानकारी थी, जिससे वे अब अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। साथ ही वे न्यायालय को संतुष्ट करने में विफल रहे। उक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया गया।

29.9.2026

अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा का अनुज्ञप्ति रद्द करने से संबंधित आदेश
ज्ञापांक-380-2 दिनांक-13.09.2014

1. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, शंकरपुर द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक-343-2 दिनांक-01.09.2014 द्वारा विक्रेता से कारण पृच्छा की गयी जिसमें निम्न आरोप निर्धारित किया गया :-

i. आरोप संख्या 1-पी0एच0एच0 का 24ण35 क्वी0 गेहूँ एवं 26.50 क्वी0 चावल कालाबाजारी में बेच दिये जाने की पुष्टि है।

आरोप संख्या 1 में विक्रेता का स्पष्टीकरण :- विक्रेता श्री किशोर कुमार द्वारा कारण पृच्छा के भुलवश प्र0आ0दा0 के लिखित बयान पर हस्ताक्षर करने का जिक्र किया है।

निष्कर्ष :- विक्रेता का कारण पृच्छा सत्य से परे एवं असंतोषजनक है क्योंकि उन्होंने अपने कथन का बचाव किया है एवं इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ii. आरोप संख्या 2- खाद्यान्न कालाबाजारी के आरोप में उनके विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है जिसका प्राथमिकी संख्या-123/2014 है।

विक्रेता का स्पष्टीकरण :- इस संबंध में विक्रेता द्वारा अपने दिये गये बयान के कारण ही प्राथमिकी दर्ज की बात की गयी है, जबकि विक्रेता द्वारा प्र0आ0दा0 द्वारा लिखित बयान को पढ़-समझकर अपना हस्ताक्षर किया गया।

निष्कर्ष :- विक्रेता द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोप के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। सिर्फ अपने बयान का बचाव किया गया है, जो असंतोषजनक है।

iii. आरोप संख्या 3- उपभोक्ता को कम मात्रा में सामग्री की आपूर्ति एवं अधिक राशि की वसूली करना।

कारण पृच्छा :- विक्रेता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कुछ भी नहीं कहा गया है।

निष्कर्ष :- कारण पृच्छा में इस संबंध कोई स्पष्टीकरण नहीं देना विक्रेता पर लगे आरोप को सिद्ध करता है जो सरकारी नियम के विरुद्ध एवं अनुज्ञप्ति में निहित शर्तों का उल्लंघन है।

iv. आरोप संख्या 4- भंडार मूल्य तालिका एवं सूचना पट्ट का संधरण नहीं करना।

कारण पृच्छा :- विक्रेता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में भंडार मूल्य तालिका एवं सूचना पट्ट के संधरण की बात की है।

निष्कर्ष :- प्र0आ0पदा0 द्वारा स्थलीय निरीक्षण में प्रतिवेदित किया है कि उनके द्वारा भंडार मूल्य तालिका एवं सूचना पट्ट/भंडार मूल्य तालिका संधरण की बात की गयी है जो भ्रामक एवं असंतोषजनक है।

v. आरोप संख्या 5- शराब पीकर उपभोक्ता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करना :-

विक्रेता द्वारा समर्पित कारण पृच्छा :- विक्रेता द्वारा अपने लिखित स्पष्टीकरण में शराब पीने से इंकार किया है।

निष्कर्ष :- प्र0आ0पदा0, शंकरपुर द्वारा दर्ज प्राथमिकी में भी विक्रेता के शराब पीकर उपभोक्ता से अच्छा व्यवहार नहीं करने का प्रतिवेदन दिया है। विक्रेता का स्पष्टीकरण असंतोषजनक है।

2. सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली विक्रेता, श्री किशोर कुमार पर लगाये गये आरोप का संतोषजनक जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया जिससे स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा गरीब लोगों के लिए सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदानित खाद्यान्न को गलत तरीके से कालाबाजारी, निर्धारित



Dr

29.9.2026

मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न/किरासन तेल का वितरण एवं अधिक राशि की वसूली उपभोक्ताओं से की जाती रही है।

3. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन, विक्रेता के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी एवं विक्रेता से प्राप्त असंतोषजनक कारण पृच्छा के आलोक में श्री किशोर कुमार, सा0वि0प्र0वि0, बेहरारी, प्रखंड-शंकरपुर, अनुज्ञप्ति संख्या-08/2008 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2011 की कंडिका-7(ii) में वर्णित प्रावधान के आलोक में रद्द किया गया।

राज्य की ओर से दाखिल लिखित जवाब :-

1. आवेदक के विरुद्ध शंकरपुर थाना कांड संख्या-102/14 अंदर धारा-7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज हुआ। प्राथमिकी में आवेदक के खिलाफ सरकारी खद्यान्नों के कालाबाजारी से संबंधित गंभीर आरोप है।
2. आवेदक के विरुद्ध प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, शंकरपुर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुज्ञप्ति-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा ने आवेदक की PDS अनुज्ञप्ति को दिनांक-13.09.2014 को रद्द करने का आदेश पारित किया।
3. आवेदक ने उक्त आदेश के विरुद्ध विद्वान समाहर्ता के न्यायालय में PDS अपील वाद-08/2017 दायर किया जिसमें सुनवाई उपरांत दिनांक-13.07.2017 को आदेश पारित किया गया।
4. समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा का निर्णय विधि अनुकूल है।

सभी सम्बद्ध पक्षों के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि पुनरीक्षणकर्ता PDS डीलर श्री किशोर कुमार के द्वारा दुकान संचालन में कई प्रमाणिक अनियमितता पाये जाने के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत कार्रवाई करते हुए उनके PDS अनुज्ञप्ति संख्या-08/2008 को रद्द किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि पुनरीक्षणकर्ता PDS डीलर द्वारा गरीब लोगों के लिए सरकार द्वारा अनुदानित खाद्यान्न को गलत तरीके से कालाबाजारी किया गया तथा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न/किरासन तेल का वितरण एवं अधिक राशि की वसूली उपभोक्ताओं से की गयी। उक्त आरोप के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता की ओर से सुनवाई में संतोषजनक जवाब/साक्ष्य नहीं उपस्थापित किया गया।

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अनुज्ञप्ति प्राधिकार-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के स्तर से यथेष्ट कारणों के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया, जो विधिसम्मत है। तदनुसार इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी जाय। निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका/अभिलेख संबंधित कार्यालय को वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धित।


आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।


आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

